



निगरानी..... १९६६

TRN ८-11 भा २८/१९६६

न्यायालय माननीय राजस्व पण्डित पद्यपुदेश राजा चिरा केष्म हन्दोर

- १- कासम पिता अल्लाबेली
- २- रत्नलाल पिता हीरालाल
- ३- रम्जान पिता अल्लाबेली
- ४- मुशी पिता देवी सिंह,
- ५- मोहन पिता देवी सिंह,
- ६- कल्याण सिंह पिता देवी सिंह,
- ७- राक्षश पिता देवी सिंह,
- ८- मंदालाल पिता हसन
- ९- जग्ग पिता लक्ष्मण,
- १०- विन्दि पिता लक्ष्मण,
- ११- शकर पिता क्षेर,
- १२- रामचन्द्र पिता क्षेर,
- १३- तेलसीराम पिता क्षेर,
- १४- दाप सिंह पिता हीराल,
- १५- शिखन रायण पिता मंदालाल,
- १६- देवी सिंह पिता पना,
- १७- मागीरथ पिता घोसा,
- सभी निवासीयान ग्राम परहका,
तेहसील बदनावर जिला झार

----- प्राधीनिक

विरुद्ध

पद्यपुदेश रासन

--- विपक्षी

निगरानी अंतिम धारा ५० म०प०म०राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय,

प्राधीनिक की ओर से यह निगरानी श्री सन०सी०गोयल,
अपर बायुक्त, हन्दोर संभाग हन्दोर के अपील क्रमांक १। १९६६-६६
में पारित नियमित दिनांक १२-१-१९६६ जिसके द्वारा अपीलान्टस की
अपील निरस्त करते हुए अपर क्लेन्टर, धारा के स्वरूप पुनरीक्षण में
पारित नियमित दिनांक ३१-८-१९६५ द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक १२०।
६२-६३ तेहसीलदार, बदनावर द्वारा पारित नामान्तरण आदेश
को निरस्त किया उसे यथावत एकत्र हुए अपील निरस्त की उससे असन्तुष्ट
एवं दुःखी होकर अन्दर अवधि अन्य के अतिरिक्त निम्न आवारों पर
सावर प्रस्तुत है।

१०९८

१०।५२। सौ। ल०।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....R.2.17/96.....जिलाकुरुक्षेत्र.....

थार नथा डिनांक	कार्यवाही नथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.5.2014	<p>आवेदकगल की ओर से श्री महर जेम्बे अभिभाषक उपर्युक्त। उनके डाता प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोद किया गया। अनुरोद इकार किया जाता है। अनुरोद इकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">ब्र अधिकारी</p>	